

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.02.2023

अवैध देशी तमंचा व चाकू के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालो एवं इनका क्रय-विक्रय करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 01. अखिलेश चौहान, 02. संदीप वर्मा, 03. ओंकार गौतम को गिरफ्तार किया गया। जमातलाशी में अखिलेश चौहान के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस, संदीप वर्मा के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व ओंकार गौतम के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना छपिया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अखिलेश चौहान पुत्र राम बहादुर निवासी रायपुर को पूरा थाना हरैया जनपद बस्ती।
02. संदीप वर्मा पुत्र जगदंबा प्रसाद निवासी रायपुर का पुरा थाना हरैया जनपद बस्ती
03. ओंकार गौतम पुत्र नंदकुमार निवासी मुंडेला कुर्था थाना हरैया जनपद बस्ती

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 50/2023, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 51/2023, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0- 52/2023, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
03. 01 अदद अवैध चाकू।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 राकेश कुमार ओझा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.02.2023

अवैध देशी तमंचा व चाकू के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालो एवं इनका क्रय-विक्रय करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 01. अखिलेश चौहान, 02. संदीप वर्मा, 03. ओंकार गौतम को गिरफ्तार किया गया। जमातलाशी में अखिलेश चौहान के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस, संदीप वर्मा के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व ओंकार गौतम के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना छपिया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अखिलेश चौहान पुत्र राम बहादुर निवासी रायपुर को पूरा थाना हरैया जनपद बस्ती।
02. संदीप वर्मा पुत्र जगदंबा प्रसाद निवासी रायपुर का पुरा थाना हरैया जनपद बस्ती
03. ओंकार गौतम पुत्र नंदकुमार निवासी मुंडेला कुर्था थाना हरैया जनपद बस्ती

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 50/2023, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 51/2023, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0- 52/2023, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
03. 01 अदद अवैध चाकू।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 राकेश कुमार ओझा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.02.2023

लूट/चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 02 शातिर अभियुक्त चोरी/लूट की योजना बनाते गिरफ्तार, चोरी/लूट की 02 अदद मोटरसाइकिल व 07 अदद मोबाइल फोन बरामदा

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित/प्रकाश में आए अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में घटना का सफल अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकान्त गौतम के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर में 05 टीमों गठित की गयी थी।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 28.02.2023 को थाना कोतवाली नगर द्वारा पतारसी-सुरागरसी करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी/लूट की योजना बनाते 02 शातिर लूटेरे/चोर 01. सौरभ त्रिपाठी व 02. अब्दुल खान को से गिरफ्तार कर लिया गया। तथा उनके कब्जे से चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिल व 07 अदद मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सौरभ त्रिपाठी पुत्र पवन कुमार त्रिपाठी निवासी राधाकुण्ड थाना को0 नगर, जनपद- गोण्डा ।
02. अब्दुला खान पुत्र शब्बीर खान निवासी चौक बाजार निकट मरकज मस्जिद थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0 183/2023, धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि0 थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 184/2023, धारा 379/411 भादवि0 थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 185/2023, धारा 392/411 भादवि0 थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0 186/2023, धारा 379/411 भादवि0 थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 187/2023, धारा 411 भादवि0 थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद सुपर स्पेलेंडर मोटरसाईकिल (UP48AO1761) कूटरचित नम्बर प्लेट लगी हुयी
02. 01 अदद बजाज कावेसिकी मोटरसाईकिल (UP13H9052)

03. 01 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन रीयलमी नारजो कंपनी टच स्क्रीन
04. 01 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन रीयलमी कंपनी टच स्क्रीन
05. 01 अदद मोबाइल फोन कार्बन कम्पनी
06. 01 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन सैमसंग टच स्क्रीन
07. 01 अदद मोबाइल फोन कार्बन कम्पनी
08. 01 अदद स्लेटी रंग का मोबाइल
09. 01 अदद काले रंग का टच स्क्रीन मोबाइल।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ०नि० प्रतीक पाण्डेय मय टीम।
02. उ०नि० अंकुर वर्मा मय टीम।
03. उ०नि० नागेश्वर नाथ पटेल मय टीम।
04. उ०नि० भानु प्रताप सिंह मय टीम।
05. उ०नि० रजनीश द्विवेदी मय टीम।

अपराधिक इतिहास सौरभ त्रिपाठी पुत्र पवन कुमार त्रिपाठी निवासी राधाकुण्ड थाना को० नगर, जनपद- गोण्डा ।

01. मु०अ०सं० 582/22 धारा 380/411/457 भादवि० थाना को० नगर गोण्डा ।
02. मु०अ०सं० 794/22 धारा 302/506 भादवि० व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा
03. मु०अ०सं० 44/20 धारा 323/504/506/327 भादवि थाना कोतवाली नगर गोंडा।